प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

बलवा के अभियोग में 06 अभियुक्तों को 03 वर्ष कारावास व पाँच-पाँच हजार रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 10.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 10.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 03 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना लहरपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 203/12 धारा 147/148/149/342/323/504/506/308 भादवि बनाम 1.सतेन्द्र पुत्र रामनाथ 2.रमाकान्त पुत्र चन्द्रधर 3.संकेत पुत्र प्रभात 4.रवि पुत्र दिवाकर 5.दिवाकर पुत्र रामनाथ 6.प्रभात पुत्र रामासरे सर्व निवासीगण ग्राम मिनौरा मजरा बसन्तीपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर में लहरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 10.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय ASJ-08 सीतापुर द्वारा अभियुक्त 1.सतेन्द्र 2.रमाकान्त 3.संकेत 4.रवि 5.दिवाकर 6.प्रभात उपरोक्त में प्रत्येक अभियुक्त को धारा 147 भा.द.वि के अन्तर्गत एक वर्ष कारावास व धारा 308/149 के अन्तर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व पाँच-पाँच हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....